संसद में भाषण का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटाया गया

प्रिलिम्स के लिये:

असंसदीय शब्द, एक्सपंजिंग, संविधान का अनुच्छेद 105(2)।

मेन्स के लिये:

एक्सपंजिंग पर नियम, एक्सपंजिंग से संबंधित प्रक्रिया।

7 फरवरी, 2023 को लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा दिये गए भाषण के एक हिस्से को अध्यक्ष के आदेश से **संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।**

- **भाषण का कौन सा** हिस्सा हटाया जाना है **इस पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है।**

रिकॉर्ड से हटाने के संबंध में नियम:

- **भारतीय संविधान** के अनुच्छेद 105(2) के तहत **संसद सदस्यों** को संसद में **उनके बयान के लिये न्यायालयी कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है।**
    - **हालाँकि उनके भाषण संसद के नियमों के अनुशासन,** सदस्यों की **अच्छी समझ और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन हैं।**
- **लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों** के **नियम संख्या 380** के तहत **अध्यक्ष को वाद-विवाद में प्रयुक्त मानहानिकारक, अशोभनीय अथवा असंसदीय शब्द या अभिव्यक्ति को हटाने का अधिकार** प्राप्त है।

असंसदीय अभिव्यक्तियाँ:

- **लोकसभा सचिवालय** द्वारा **बड़ी मात्रा** में **असंसदीय अभिव्यक्तियाँ** स्पष्ट की गई हैं।
- इस पुस्तक में ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ हैं जिन्हें **अधिकांश संस्कृतियों में असभ्य या अपमानजनक माना जाएगा** लेकिन इसमें ऐसी सामग्री भी शामिल है जो **हानिरहित और अहानिकर है।**
- पीठासीन अधिकारियों- **लोकसभा अध्यक्ष** और **राज्यसभा अध्यक्ष** का काम ऐसे शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से अलग रखना है।

किसी शब्द (अथवा भाषण का भाग) हटाने के निर्णय की प्रक्रिया:

- रिपोर्टिंग अनुभाग के प्रमुख की सिफारिश के आधार पर और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें शब्द या वाक्य का उपयोग किया गया था, **स्पीकर नियम 380 के तहत शब्द या भाषण के हिस्से को हटाने का निर्णय लेता है।**
- **किसी टिप्पणी को हटाना है या नहीं, यह तय करने में संदर्भ महत्त्वपूर्ण है।** यथासंभव कम-से-कम शब्दों को हटाने पर ज़ोर दिया जाता है।
    - नियम 381 के अनुसार, सदन की कार्यवाही का जो भाग हटाया गया है **उसे एक तारांकित चिह्न द्वारा दर्शाया जाएगा और व्याख्यात्मक पादटिप्पणी/फुटनोट को कार्यवाही** में निम्नानुसार शामिल किया जाएगा- **'अध्यक्ष के आदेशानुसार निष्कासित'।**
- **ये निकाले गए अंश संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं, साथ ही इन्हें मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है,** हालाँकि उन्हें कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान सुना जा सकता है।
- हालाँकि **सोशल मीडिया के प्रसार ने निष्कासन आदेशों को लागू करने में चुनौतियाँ पेश की हैं।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/expunging-in-parliament